राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	1824/2025	डॉ.पप्पू लाल जांगिड	उप शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य	श्री उम्मेद सिंह तंवर
2.	530/2025	डॉ. ललिता कुमारी	प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	श्री सुधीर गुप्ता

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिक महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपील संख्या–1824/2025 में अपीलार्थी डॉ. पप्पू लाल जांगिड ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी–।। के पद पर आयुर्वेद औषधालय, देवली, जिला टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 डॉ. ललिता कुमारी को लाभ देने के की गरज से निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, किशनपुरा, पाली से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, देवली, टोंक में किया गया है, जो अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय आयुर्वेद औषधालय, देवली, टोंक से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, ढिकोलिया, टोंक में किया गया है। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से स्वयं की प्रार्थना पर उच्चतर पद पर पदस्थापित किया गया है, जो गलत है।
2. अपील संख्या–530/2025 में अपीलार्थी डॉ. ललिता कुमारी ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद औषधालय, किशनपुरा, पाली से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, देवली टोंक में स्थानान्तरणाधीन होना दर्शाते हुए आदेश को निरस्त किया है और अपीलार्थी को किशनपुरा, पाली में यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में अपीलार्थी डॉ. ललिता कुमारी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं 16.01.2025 की पालना में देवली टोंक में कार्यग्रहण कर लिया था। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को स्थानान्तरणाधीन होना दर्शाते हुए

स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किया गया है, जो उचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपील संख्या–530/2025 में अपीलार्थी के पक्ष में अधिकरण द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.01.2025 पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) को स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–।। के पद पर पदोन्नति पा चुकी है।

3. हमनें अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।
4. वर्तमान प्रकरणों में हमारे समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अपील संख्या–530/2025 में अपीलार्थी डॉ. ललिता कुमारी के पक्ष में अधिकरण ने अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.01.2025 पारित कर अपीलार्थी राजकीय आयुर्वेद औषधालय, देवली, टोंक में पदस्थापित रखा है और अपीलार्थी डॉ. पप्पू लाल जांगिड़ जिनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, देवली टोंक से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, ढिकोलिया, टोंक में किया गया था, उक्त आदेश को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निरस्त किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में एक ही पद पर दो कार्मिक पदस्थापित हो गये हैं। उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वो अपील संख्या–1824/2025 के अपीलार्थी डॉ. पप्पू लाल जांगिड़ एवं अपील संख्या–530/2025 की अपीलार्थी डॉ. ललिता कुमारी दोनों के पदस्थान के सम्बन्ध में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश दो सप्ताह की अवधि में पारित करें। नये पदस्थापन आदेश पारित होने तक अपीलार्थीगण के पदस्थापन के सम्बन्ध में यथास्थिति बनायी रखी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि दोनों ही अपीलार्थी के सम्बन्ध में पूर्व में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 पारित किया जा चुका है। ऐसे में नये सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित किये जाने पर स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लागू होना नहीं माना जावे।
5. इस आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
6. मूल आदेश अपील संख्या 1824/2025 में एवं छाया प्रति अपील संख्या–530/2025 में रखी जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)